23/3/22 पत्रावली पेश हुई। वादी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार ने उपस्थित होकर कथन किया गया कि पूर्व में किये विक्रय दस्तावेज के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होना

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____________ मुकाम ____________

बनाम ____________

नाम मुकदमा ____________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया है। इस सम्बन्ध में वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी के चारिस्थान का जाति प्रमाण पेश किया गया। प्रतिवादी के नाम ग्राम डींगा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित कृषि आराजी की नकल प्रस्तुत की गई। तथा न्यायालय को अवगत कराया गया कि ग्राम ईडरा की आराजी नम्बर 510, 511, 513, 514 किता-4 कुल रकबा 6बीघा 12 बिस्वा भूमि का बैयान रजिस्टर्ड दस्तावेज से श्री मोडा पिता देवा भील निवासी रोड़जी का खेड़ा द्वारा श्री ऊदा पिता गल्ला को किया गया है। उक्त बेयान अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को ही किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली का अवलोकन कर गहन परीक्षण किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील। डिक्री। टीए। प्रकरण संख्या 5983।2003 चित्तौड़गढ़ में पारित आदेश दिनांक 12.2.2014 के अंतिम पैरा में वर्णित आदेशानुसार जांच की गई। जांच में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है कि धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेशिका अनुसार पत्रावली को कायम मुकाम में सहवन से चलाई जा रही है जिसको दुरस्त	

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
	सुनवाई में ली गई। पत्रावली में बक्त सुनवाई वादी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला ने उपस्थित होकर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित में आराजी के विक्रय करने पर धारा 42 का उल्लंघन नहीं हुआ है। वाद पत्र के सारहीन होने से खारीज किया जावे। अतः पत्रावली पर धारा 42 का उल्लंघन होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना पाया जाने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 42 व 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी डूंगला	